अति आवश्यक
तत्काल

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 5777 /प्र.अ./विधि (स्टेनो)/लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 19/6/24

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर

2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
मंडल.....

3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
लोक स्वास्थय यांत्रिकी
खंड.....

विषयः—ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है तथा जिन्हें न्यूनतम वेतन की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय के कुछ कार्यालयीन पत्रों के आधार पर सातवें वेतनमान की एरियर राशि चाहने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में **''अभ्यावेदन निराकरण आदेश''** जारी करने हेतु **''आदेश प्रारूप''** भिजवाने विषयक।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत यह पाया गया है कि विभाग के ऐसे दैनिक वेतन भोगी स्थाईकर्मी कर्मचारियों जिनके पक्ष में स्थायी वर्गीकरण आदेश जारी नहीं हुआ है तथा जिन्हें ''रामनरेश रावत'' प्रकरण के अनुसार न्यूनतम वेतन की एरियर राशि का भुगतान नहीं किया गया है, के द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय एवं मुख्य अभियंता, जबलपुर कार्यालय से जारी पत्र कमांक कमशः 1773 दिनांक 09.02.23 एवं 596 दिनांक 24.02.23 को आधार बनाकर (जिन्हें जारी होने के कुछ समय पश्चात ही निरस्त भी कर दिया गया था), उन्हें वर्ष 2004–05 से स्थायी वर्गीकृत मानते हुये शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश कमांक एफ 16–19/2022/1/34 भोपाल दिनांक 8 अगस्त 2022 के अनुकम में पद के न्यूनतम वेतनमान के अनुसार सातवें वेतनमान की एरियर राशि प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर की जा रही हैं तथा यह भी पाया गया है कि सामान्य तौर पर माननीय न्यायालयों द्वारा ऐसी रिट याचिकाओं के निर्णय में विभागीय मुख्य अभियंता/प्रमुख अभियंता के स्तर से याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के निराकरण के आदेश दिये जा रहे हैं।

इस प्रकृति के एक न्यायालयीन प्रकरण **''बालन आर एवं 01 अन्य बनाम म.प्र.शासन एवं अन्य''** में इस कार्यालय के स्तर से अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी किया गया हैं। उक्त **''आदेश नमूना''** जिसमें विभागीय पक्ष के सभी संभावित तथ्यों को शामिल किया गया है, आपके सुलभ अवलोकनार्थ संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया ध्यान दे कि इस आदेश प्रारूप में अभ्यावेदन निराकरण आदेश निकालने हेतु याचिकाकर्ता कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका, प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं न्यायालयीन निर्णयों का पूर्व अवलोकन एवं अध्ययन आवश्यक है। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि प्रकरणवार आदेश के बिन्दुओं को संशोधित करने एवं प्रकरण के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होगी, जो आपके स्तर से सावधानीपूर्वक की जाना चाहिये। इस कार्यालय द्वारा पूर्व में इस प्रकृति के प्रकरणों में मुख्य अभियंता, जबलपुर के स्तर से जारी अभ्यावेदन निराकरण आदेशों का परीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है कि उनके स्तर से आदेश जारी करते समय वादी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई रिट याचिका में संलग्न दस्तावेजों का सम्पूर्ण अध्ययन नहीं किया गया था तथा याचिका में उल्लेखित तथ्यों को निराकरण आदेश में सम्मिलित नहीं किया था। कृपया ध्यान दें कि इस प्रकृति का निराकरण भविष्य में पुनः न्यायालयीन प्रकरण दायर होने की संभावना उत्पन्न करता है। अतः पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

अंत में आपको निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में अभ्यावेदन निराकरण आदेश जारी करते समय, जहाँ तक संभव हो, संलग्न प्रारूप के अनुसार ही आदेश जारी करें ताकि शासन हित का यथासंभव संरक्षण संभव हो सके।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–07पेज

18.6.2024
प्रमुख अभियंता

पृ.क्रमांक 5777 /विधि(स्टेनो)/प्र.अ./लोस्वायांवि./2024 भोपाल, दिनांक 19/6/24

प्रतिलिपी :–

सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार**
आदेश नमूना–07पेज

18.6.2024
प्रमुख अभियंता

Seema 2024

आदेश नमूना प्रारूप

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जलभवन बाणगंगा भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 304/प्र.अ./विधि लो.स्वा.यां.वि./2024 भोपाल, दिनांक 13/06/2024

//अभ्यावेदन निराकरण आदेश//

इस आदेश के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट पिटीशन क्रमांक 757/2024 (बालन आर एवं 01 अन्य विरूद्व म0प्र0शासन एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 05 फरवरी 2024 के परिपालन में याचिकाकर्ताओं द्वारा रिट पिटीशन के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायत का निराकरण किया जा रहा है।

1— श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट पिटीशन क्रमांक 757/2024 दायर कर मा0 उच्च न्यायालय से निम्न सहायता चाही गई थी।

(i)That, the Hon'ble Court may kindly be pleased to issue the writ in the nature of mandamus and direct the respondents to consider the claim of petitioners for classification on the basis of order issued by the department in time to time and pay the minimum of pay scale 5200-20200 grade pay 1800 and 7th pay with arrears of salary from the date of classification of petitioners in the light of order of Hon'ble Apex court Ramnaresh Rawat.
(ii)Any other appropriate writ, order of direction, which this Hon'ble Court decms just and proper, may also be passed in the interest of justice.

2— मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त रिट याचिका का निराकरण पारित निर्णय दिनांक 05 फरवरी 2024 के माध्यम से किया गया है। जिसका आपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :—

2. This petition is diposed of directing the authority i.e.respondent No.4 to consider the grievance of the petitioners and take appropriate decision there of within a period of three months from the date of receipt of copy of this order. If benefit of 7th pay commission has been granted to other similarly situated employees and the petitioners are also entitled for the same , they may be granted the said benefit.
3. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case .
4. With the aforesaid directions, the petition is dispoesd of.

3— यह कि, याचिकाकर्ता श्री बालन आर स्थाईकर्मी (चौकीदार) एवं श्री टीकाराम नाथ स्थाईकर्मी (हेल्पर) द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 18.04.2024 प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

13.6.2024